200

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी – भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व मूल वाद संख्या : 17/2020

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

जन्नतबानों व अन्य

निजामुद्दीन व अन्य

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 92ए, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी.

सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

उपस्थिति :–

1. वादीगण की ओर से श्री गणपतलाल चौधरी एडवोकेट।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट।

–::आदेश ::–

दिनांक 22/8/2022

प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सी.पी.सी. सपठित धारा 151 सी.पी.सी. पेश किया गया जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इस आधार पर पेश किया कि "राजस्व ग्राम खारिया मीठापुर तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में भूमि खसरा संख्या 794 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा आयी हुयी है, जो पूर्व में वादीगण के पूर्वज हमीर खॉ की खातेदारीसुदा थी। हमीर खॉ फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 672 द्वारा उक्त भूमि हमीर खॉ की पत्नी नसीबा के नाम दर्ज हुई। उक्त फौतेदगी म्यूटेशन में हमीर खॉ के पुत्र अलादीन व सतार खॉ का भी नाम दर्ज किया जाना चाहिए था। अलादीन वादीगण के पति/पिता है, जिनका स्वर्गवास हो चुका है। नसीबा ने उक्त कृषि भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 08.01.1979 द्वारा सतार खॉ को बख्शीश कर दी तथा उक्त बख्शीशनामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 1119 द्वारा बख्शीशसुदा भूमि सतार खॉ के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज की गयी। सतार खॉ का स्वर्गवास वर्ष 2008 में हो गया तथा सतार खॉ फौत होने पर उक्त भूमि सतार खॉ के वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि वादीगण की पुश्तैनी भूमि है, जिसमें मुसलीम उतराधिकार कानून के अनुसार नसीबा का 1/8 हिस्सा व अलादीन व सतार खॉ का 7/8 वॉ हिस्सा आता है तथा अलादीन का 7/8 वॉ हिस्सा में से 1/2 हिस्सा आता है, जिस पर अलादीन का व उनके इन्तकाल के बाद वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। नसीबा ने उक्त निहित हिस्से से ज्यादा हिस्से की बख्शीश सतार खॉ को की है। अन्त में इस्तदुआ की कि वादीगण को उक्त कृषि भूमि के 7/8 वॉ हिस्से में से 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त हिस्से के सम्बंध में स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री जारी की जावे।" खसरा संख्या 794 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा पूर्व में हमीर खॉ पुत्र रमजान खॉ के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज थी तथा हमीर खॉ फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 672 द्वारा हमीर खॉ के स्थान पर उनकी पत्नी नसीबा का नाम दर्ज किया गया। जो वादीगण के पिता/पति अल्लादीन व सत्तार खॉ की सहमति से स्वीकृत किया गया। क्योकि हमीर खॉ द्वारा अपने दोनो पुत्रों अल्लादीन व सत्तार खॉ को उनके हिस्से की भूमि खसरा संख्या

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

788 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा, खसरा संख्या 793 रकबा 19 बीघा 15 बिस्वा व खसरा संख्या 792 रकबा 8 बिस्वा कुल खसरा संख्या 3 कुल रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा अपने जीवनकाल में ही अपने दोनो पुत्रों के नाम करवा दी तथा अल्लादीन व सत्तार अहमद द्वारा उपरोक्त तीनों खसरान की भूमि को दिनांक 21.06.1972 को क्रेता हरकचन्द पुत्र जुगराज कौम ओसवाल 1/2 हिस्सा, घीसाराम पुत्र भैराराम कौम सीरवी 1/2 हिस्सा बैचान कर दी। इस प्रकार हमीर खॉ द्वारा अपने जीवनकाल में ही अपने दोनो पुत्रों को उनके हिस्से की भूमि दे दी थी। तथा विवादग्रस्त भूमि में दोनो पुत्रों का कानूनन कोई हक व हिस्सा नही रहा व दोनो पुत्रों की सहमति से ही विवादग्रस्त भूमि हमीर खॉ द्वारा अपने जीवनकाल में अपने बंट में तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात् उनकी पत्नी नसीबा के नाम से दर्ज की गयी। इस प्रकार कानूनन वादीगण का विवादग्रस्त कृषि भूमि में कोई हक व हिस्सा नही बनता है। नसीबा द्वारा उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड बख्शीशनामा द्वारा अपने पुत्र सतार अहमद को बख्शीश कर दी तथा बख्शीशनामा के आधार पर दर्ज म्यूटेशन संख्या 1119 द्वारा नसीबा के स्थान पर सतार अहमद का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया तथा सतार अहमद फौत होने पर जरिये फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 4183 द्वारा सतार अहमद के स्थान पर प्रतिवादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में दर्ज किया गया। तब से उक्त भूमि प्रतिवादीगण के नाम से ही खातेदारी के रूप में दर्ज चली आ रही है तथा प्रतिवादीगण ही उक्त भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। उक्त भूमि पर रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 08.01.1979 से प्रतिवादीगण के पिता/पति सतार अहमद का तथा उनके जीवनकाल में उनके साथ–साथ व उनके स्वर्गवास के पश्चात् से लेकर आज दिन तक प्रतिवादीगण का ही कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादीगण द्वारा ही भौतिक व वास्तविक रूप से उक्त खसरा की भूमि को उपयोग व उपभोग में लिया जा रहा है। वादीगण का उक्त भूमि पर कभी कब्जा काश्त नही रहा तथा न ही वादीगण के पिता के नाम से उक्त भूमि खातेदारी के रूप में दर्ज रही। प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर 42 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। नसीबा द्वारा प्रतिवादीगण के पिता/पति सतार अहमद के पक्ष में उक्त भूमि के सम्बंध में करवाये गये बख्शीशनामा में स्वीकार किया है कि "बख्शीश की गयी आराजी पर मेरे अलावा अन्य किसी का कोई हक व हिस्सा नही है, बख्शीश की गयी आराजी का कब्जा तुमको (सतार अहमद) को सुपुर्द कर दिया है व आपने (सतार अहमद) भी कब्जा प्राप्त कर लिया है। बख्शीश की गयी आराजी पर मेरा व मेरे अन्य वारिसान का कोई हक व उज्र नही है व न ही भविष्य में रहेगा। उक्त बख्शीश की गयी आराजी पर तुम व तुम्हारे वारिसान बहैसियत खातेदार भोगवेंगे व इच्छा अनुसार उपयोग में ला सकेगे व मुन्तकिल कर सकेंगे।" बख्शीशनामा में स्वीकृत उक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि नसीबा द्वारा उक्त भूमि का कब्जा वक्त बख्शीश प्रतिवादीगण के पिता/पति सत्तार अहमद को सुपुर्द कर दिया है तथा नसीबा के अलावा उक्त भूमि में उसके वारिसान का कोई हक व हिस्सा नही है। वादीगण नसीबा के पुत्र अल्लादीन के वारिसान है तथा उक्त बख्शीशनामा के अनुसार जब वादीगण के पिता/पति अल्लादीन का कोई हक हिस्सा नही है तो ऐसी स्थिति में कानूनन वादीगण का भी उक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही बनता है। वादीगण के पिता व पति अल्लादीन द्वारा अपने जीवनकाल में कभी भी उक्त रजिस्टर्ड बख्शीशनामा को चैलेन्ज नही किया न ही अल्लादीन द्वारा अपने जीवनकाल में विवादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में हक की घोषणा हेतु कोई वाद पेश किया। यदि कानूनन अल्लादीन का विवादग्रस्त कृषि भूमि में किसी प्रकार का हक व अधिकार निहित होता तो उनके द्वारा अपने जीवनकाल में विवादित कृषि भूमि के सम्बंध में हक व अधिकार की घोषणा हेतु वाद अवश्य पेश किया जाता। जिससे भी

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

स्पष्ट है कि विवादग्रस्त कृषि भूमि में अल्लादीन का कानूनन कोई हक व अधिकार नही रहा। तथा न तो अल्लादीन द्वारा उक्त रजिस्टर्ड बख्शीशनामा को अपने जीवनकाल में चैलेन्ज किया व न ही वादीगण द्वारा उक्त रजिस्टर्ड बख्शीशनामा को आज दिन तक सक्षम सिविल न्यायालय में चैलेन्ज किया, जबकि कानूनन रजिस्टर्ड बख्शीशनामा को निरस्त करने का क्षैत्राधिकार सिविल न्यायालय को है। जब तक सिविल न्यायालय द्वारा रजिस्टर्ड बख्शीशनामा को निरस्त नही किया जाता तब तक रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के आधार पर व जरिये उतराधिकार के आधार पर प्रतिवादीगण को प्राप्त वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में माननीय न्यायालय को किसी प्रकार का अनुतोष वादीगण को प्रदान करने का क्षैत्राधिकार नही है न ही वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मैन्टेबल है। इसके अलावा वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बिना कब्जे के आधार पर पेश किया है तथा बिना कब्जा के वादीगण खातेदारी घोषणा करवाने के कानूनन अधिकारी नही है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में यह स्वीकार किया है कि नसीबा का वादग्रस्त कृषि भूमि में 1/8 वॉ हिस्सा बनता है, वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में उपरोक्त अभिवचन के अनुसार नसीबा द्वारा किया गया रजिस्टर्ड बख्शीशनामा दिनांक 08.01.1979 कानून की दृष्टि में शून्य दस्तावेज नही होकर शून्यकरणीय दस्तावेज की परिभाषा में आता है तथा शून्यकरणीय दस्तावेज को जब तक सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता है तब तक ऐसे दस्तावेज में वर्णित भूमि के सम्बंध में राजस्व वाद सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को नही है। इस प्रकार वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद उपरोक्त वर्णित विधि से वर्जित है। माननीय न्यायालय द्वारा भी वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के साथ पेश स्थगन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट में पारित आदेश दिनांक 05.10.2021 में उपरोक्त वादग्रस्त कृषि भूमि पर वादीगण का कब्जा काश्त होना नही माना है तथा इसके अलावा माननीय न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश में यह माना है कि राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड बख्शीशनामा निरस्त करने का क्षेत्राधिकार नही है तथा जब तक दस्तावेज सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता है तब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज में वर्णित जायदाद के सम्बंध में वाद राजस्व न्यायालय में मेन्टेबल नही है। किसी भी दस्तावेज को शून्य, शून्यकरणीय, अप्रभावी सिविल न्यायालय द्वारा ही घोषित किया जा सकता है न की राजस्व न्यायालय द्वारा। अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद प्रार्थना पत्र में वर्णितानुसार विधि द्वारा वर्जित होने के कारण खारिज किये जाने का आदेश फरमावे।

उक्त प्रार्थना पत्र का वादीगण द्वारा जवाब पेश किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में आदेश 7 नियम 11 के चारों में से कोई भी बिन्दु नही बताया है। हमीर खॉ के देहान्त के समय हमीर खॉ के उतराधिकारी दो पुत्र अल्लादीन, सतार खा व पत्नी नसीबा थे। लेकिन हल्का पटवारी ने म्यूटेशन संख्या 672 अकेले नसीबा के नाम दर्ज किया। जिसे सरपंच ग्राम पंचायत खारिया मीठापुर द्वारा बिना किसी प्रकार की जॉच किये स्वीकृत किया इसलिए म्यूटेशन संख्या 672 से वादीगण का हक व हिस्सा समाप्त नही हो सकता है नसीबा ने राजस्व रेकर्ड का नाजायज फायदा उठाकर खसरा संख्या 794 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा का सम्पूर्ण बख्शीशनामा दिनांक 08.01.1979 को अपने पुत्र सतार खॉ के पक्ष में निष्पादित किया, जबकि नसीबा का उतराधिकार के तौर पर 1/3 हिस्सा ही बनता है। इसलिए उक्त बख्शीशनामा वादीगण के हिस्से के विरूद्ध अवैध व बेअसर है। वादीगण ने दावा पैतृक भूमि में अपना हक होने के आधार पर घोषणा खातेदारी के लिए पेश किया है, जिसे सुनने का क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय को है। अन्त में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान निम्न न्यायिक दृष्टान्त पेश किये 2017 (2) आर.आर.टी. 803, 2020 (1) आर.आर.टी. 508, 2014 (1) आर.आर.टी. 376, आर.आर.डी. 2009 पेज सं. 750, आर.आर.डी. 1988 पेज सं. 610, 2020 आर.बी.जे. पेज सं. 666, 2014 (2) आर.आर.टी. 1266, 2018 आर.बी.जे. पेज सं. 287, 2021 (2) डीएनजे (रेव.) 1439, 2016 डी.एन.जे. (एस.सी) 644, न्यायिक दृष्टान्त पेश किये। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. व न्यायिक दृष्टान्त व वादीगण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत जवाब का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

उभय पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत कथनों के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि वादग्रस्त कृषि भूमि वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम से खातेदारी के रूप में दर्ज है, इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 से 5 वादग्रस्त कृषि भूमि के रेकर्डेड खातेदार है। वादग्रस्त कृषि भूमि कें सम्बंध में नसीबा द्वारा सतार खॉ के पक्ष में दिनांक 08.01.1979 को पंजीबद्ध बख्शीशनामा निष्पादित किया, जिसके द्वारा नसीबा ने वादग्रस्त कृषि भूमि का कब्जा दिनांक 08.01.1979 को ही प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के पिता सतार खॉ को सुपुर्द कर दिया। जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर सतार खॉ का व सतार खॉ के स्वर्गवास के पश्चात् प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण का वादग्रस्त कृषि भूमि पर कब्जा काश्त नही है, इसलिए बिना कब्जा के वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद बाबत् स्थाई निषधाज्ञा पोषणीय नही है। प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा फोर्म नम्बर 3 के साथ खसरा संख्या 788, 793 व 792 की मिसल बंदोबस्त व म्यूटेशन संख्या 502 बहस के दौरान पेश किये। जिनके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि उक्त भूमि सेटलमेन्ट के समय अलादीन व सतार खॉ के नाम से दर्ज थी। जिसे उनके द्वारा दिनांक 21.06.1972 को क्रेतागण हरकचन्द व घीसाराम को बैचान कर दी। उपरोक्त दस्तावेज से यह भी प्रकट होता है कि हमीर खॉ ने अपने जीवनकाल में अपने उक्त दोनो पुत्रों को उपरोक्त खसरान की भूमि दे दी तथा अपने बंट में वादग्रस्त कृषि भूमि रखी व हमीर खॉ फौत होने पर वादग्रस्त कृषि भूमि का फौतेदगी म्यूटेशन भी हमीर खॉ के दोनो पुत्रों अलादीन व सतार खॉ की सहमति से स्वीकृत व दर्ज किया गया। अलादीन द्वारा अपने जीवनकाल में हमीर खॉ का फौतेदगी म्यूटेशन संख्या 672 को चैलेन्ज नही किया व न ही उक्त पंजीबद्ध बख्शीशनामा को चैलेन्ज किया। यदि अलादीन का वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का हक व अधिकार होता तो ऐसी स्थिति में अलादीन द्वारा अवश्य ही अपने जीवनकाल में उक्त फौतेदगी म्यूटेशन को चैलेन्ज किया जाता व उक्त पंजीबद्ध बख्शीशनामा को भी अलादीन द्वारा चैलेन्ज किया जाता। परन्तु अलादीन द्वारा ऐसा नही किया गया, जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि में अलादीन का कोई हक व हिस्सा नही है, जब वादग्रस्त कृषि भूमि में अलादीन का कोई हक व हिस्सा नही है तो ऐसी स्थिति में वादीगण का भी वादग्रस्त कृषि भूमि कानूनन कोई हक व हिस्सा नही बनता है। अलादीन व वादीगण द्वारा आज दिन तक नसीबा द्वारा सतार खॉ के पक्ष में पंजीबद्ध करवाये गये बख्शीशनामा को सिविल न्यायालय में चैलेन्ज नही किया है तथा जब तक सिविल न्यायालय द्वारा वादग्रस्त कृषि भूमि के सम्बंध में पंजीबद्ध करवाया बख्शीशनामा निरस्त नही किया जाता तब तक वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद भी कानूनन पोषणीय नही है। प्रतिवादीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी, बिलाड़ा

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

दृष्टांत जो प्रस्तुत प्रकरण में पूर्णतया चस्पा होते है उसमें भी राजस्व मण्डल, राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया कि "बिना कब्जा के वादीगण के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। राजस्व न्यायालय को रजिस्टर्ड बख्शीशनामा निरस्त करने का क्षैत्राधिकार नही है। जब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज सिविल न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता तब तक रजिस्टर्ड दस्तावेज में वर्णित जायदाद के सम्बंध में वाद राजस्व न्यायालय में मेंटेबल नही है। किसी भी दस्तावेज को शून्य, शून्यकरणीय, अप्रभावी सिविल न्यायालय द्वारा ही घोषित किया जा सकता है न की राजस्व न्यायालय द्वारा तथा मुस्लिम विधि में पैतृक सम्पति की धारणा का सिद्धान्त लागु नही होता है" इस प्रकार उपरोक्त समग्र विवेचन के आधार पर वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद मुस्लिम विधि से वर्जित होने से, बिना कब्जा के आधार पर पेश किया होने से व बिना बख्शीशनामा को निरस्त करवाये पेश किया होने से विधि द्वारा वर्जित है तथा किसी प्रकार का कोई वाद कारण पैदा नही होता है।

अतः प्रतिवादी संख्या 1 से 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 (डी) सपठित धारा 151 सी.पी.सी. स्वीकार किया जाता है तथा वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधि द्वारा वर्जित होने से एवं बिना वादकारण के प्रस्तुत किया हुआ होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदेश आज दिनांक 22/8/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा